राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 138 / 2025
निर्णय दिनांकः 13.04.2026
आसीएमएस सं0: 2026 / 303
दायर दिनांकः 08.09.2025

1. बृजलाल पुत्र भूरा राम प्रजापत जाति जाट निवासी जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

उपस्थितः

1. वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिशु व श्री ओमप्रकाश घोटिया ।
2. प्रतिवादी पैरोकारराज तहसीलदार सुजानगढ़।

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

निर्णय दिनांकः 13.04.2026

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत ख.नं. 1568 / 384 तादादी 1.0874 हैक्टेयर, ख.नं. 380 तादादी 5.2223 हैक्टेयर कुल किता दो कुल तादादी 6.3097 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) में स्थित हैं, जिसकां वर्तमान खाता सं. 106 हैं, जिसमें वर्तमान वादी का नाम बिरजाराम पुत्र भूराराम अंकित हैं। वादगत खेत रोही ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) के खाता सं. 106 में बिरजाराम पुत्र भूराराम में वादी का नाम राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया, जबकि समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम बृजलाल पुत्र भूराराम जाट अंकित है। राजस्व रिकार्ड में व दस्तावेजात में वादी का नाम अलग—अलग होने के कारण वादी उक्त खातेदारी में सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने से वंचित हो रहा हैं। शैक्षणिक व सरकारी दस्तावेजात में वादी का सही व वास्तविक नाम बृजलाल पुत्र भूरा राम जाट अंकित है, इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह राजस्व रिकार्ड में अपना सही व वास्तविक नाम बृजलाल पुत्र भूरा राम जाट अंकित करवाये, जिसका भी वादी कानूनी अधिकारी है। वादी के नाम से जारी आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम बृजलाल पुत्र भूरा राम जाट अंकित है, जबकि राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित चला आ रहा हैं। राजस्व रेकार्ड में वादगत खसरे की खातेदारी में वादी का नाम गलत अंकित रहने से सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने से वंचित हो रहा हैं, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड भी वादी का नहीं बन पा रहा हैं, जिससे

वादी को अपूर्तिय क्षति हो रही हैं, इसलिए वादी के आवश्यक हो गया हैं कि वोह वादगत खसरे की खातेदारी में अपने गलत नाम बिरजाराम पुत्र भूराराम की जगह संशोधन करवाकर अपना सही नाम बृजलाल पुत्र भूरा राम जाट अंकित करवाये, जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। वादी ने निवेदन किया कि:–

(क) वादगत खेत ख.नं. 1568/384 तादादी 1.0874 हैक्टेयर, ख.नं. 380 तादादी 5.2223 हैक्टेयर कुल कित्ता दो कुल तादादी 6.3097 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) की खातेदारी में वादी का नाम बिरजाराम पुत्र भूराराम निवासी जैतासर के स्थान पर बृजलाल पुत्र भूरा राम जाट जाति जाट निवासी जैतासर अंकित कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर रेकार्ड दुरूस्त करें।

(ख) प्रतिवादी को आदेश फरमावे कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

(ग) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो प्रदान करें।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बिरजाराम पुत्र भूराराम दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम बृजलाल पुत्र भूराराम दर्ज है। बृजलाल व बिजराराम दोनों एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्डें में बिरजाराम पुत्र भूराराम के स्थान पर बृजलाल पुत्र भूराराम दुरूस्त करने की अभिषंशा की गयी ।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार, मौका रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा आधारकार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि में सही नाम बृजलाल पुत्र भूरा राम प्रजापत दर्ज है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत हाता है।

–:आदेश:–

वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खाता संख्या 106 के खेत ख.नं. 1568/384 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 380 तादादी 5.2223 हैक्टेयर वाके रोही जैतासर तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार का नाम बिरजाराम पुत्र भूराराम के स्थान पर बृजलाल पुत्र भूरा राम जाट किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

बृजलाल बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत डिक्री कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा न0 138 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस, हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु व श्री ओमप्रकाश घोटिया, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खाता संख्या 106 के खेत ख.नं. 1568/384 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 380 तादादी 5.2223 हैक्टेयर वाके रोही जैतासर तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार का नाम बिरजाराम पुत्र भूराराम के स्थान पर बृजलाल पुत्र भूरा राम जाट किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

...त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 **माह 04 2026**

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।